राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक एफ.7(4)वित्त/एसपीएफसी/2015 जयपुर, दिनांक 12.06.2020

परिपत्र

विषयः– कोविड़–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दृष्टिगत राजकीय निगमों, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों के अन्तर्गत बकाया दावों के त्वरित भुगतान के संबंध में।

कोविड़–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण विभिन्न राजकीय निगम, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा एमएसएमई उद्योगों तथा संवेदकों द्वारा पूर्ण की गयी आपूर्ति, सेवाओं एवं संकर्मों के निष्पादन के फलस्वरूप देय दावों का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाने के कारण उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में संविदा की शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

इसी प्रकार जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई हेतु कार्यादेश जारी हो चुका है तथा सफल घोषित संवेदक द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जमा कराते हुये उपापन संस्था के साथ अनुबंध किया जा चुका है, उनमें असफल घोषित संवेदकों द्वारा जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन प्रकरणों में कार्य/सप्लाई बोली शर्तों के अनुसार पूर्ण हो चुके है एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रोकी गयी है, में नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि तत्काल प्रभाव से लौटाया जाना सुनिश्चित करावें।

इसके अतिरिक्त राजकीय निगम, बोर्ड, उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी निकायों द्वारा उपयोगिताओं के बकाया दायित्वों यथा विद्युत, जल आदि का शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावे।

साथ ही राजकीय निगमों, बोर्ड तथा उपक्रमों द्वारा स्वायत्त शासी निकायों के बकाया लीज आदि के शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने पश्चात् सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी तत्संबंधित इकजाई सूचना दिनांक 06.07.2020 तक इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

12/6/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

14. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
15. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
16. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
17. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
20. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
21. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
22. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
23. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
24. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
25. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
26. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

12/6/2020

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव